न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजि0 नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/07/2026	2026/12	19.01.2026	23.02.2026

1. पंजाब नेशनल बैंक एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट–04 सेक्टर 04 द्वारका नई दिल्ली–110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी शाखा कार्यालय मूबारिकपुर व मण्डल कार्यालय अलवर जिला अलवर (राज0) में स्थित व कार्यरत है।

–प्रार्थी

बनाम

1. मै0 सिद्धि कॉटन गिन्निग एंड प्रेसिंग फेक्टरी जरिये मालिक श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राय साहब पता–ग्राम मुबारिकपुर, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
2. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राय साहब
   पता–2093, मेघा बास रोड़, ग्राम मुबारिकपुर, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
3. श्री रवि कुमार पुत्र श्री राय साहब
   पता–मकान नं0 11, वार्ड नं0 1, उम्मेदपुरा, सिरसा हरियाणा–125055
4. श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री राय साहब
   पता–मकान नं0 11, वार्ड नं0 1, उम्मेदपुरा, सिरसा हरियाणा–125055
5. श्रीमती सविता पत्नी श्री विनोद कुमार
   पता–2093, मेघा बास रोड़, ग्राम मुबारिकपुर, तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
6. श्री सुभाष चंद
   पता–शॉप नंबर 52, एलेनाबाद, नई अनाज मंडी हरियाणा–125102

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

–:: निर्णय ::–

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी द्वारा मै0 सिद्धि कॉटन गिन्निग एंड प्रेसिंग फेक्टरी जरिये मालिक श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राय साहब के नाम से खसरा नम्बर 3868/2093 क्षेत्रफल 0.86 है0 यानि 8600 वर्ग मीटर वाके ग्राम मुबारीकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0–301035 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 8600 वर्ग मीटर सीमाऐ पूर्व–कृषि भूमि, पश्चिम–रोड़, उत्तर–टाइल्स फैक्टरी एवं कृषि भूमि एवं दक्षिण–कृषि भूमि, पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिग एसेट्स दिनांक 30.04.2025 को घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :-

1—रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2.—आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः तहसीलदार रामगढ़ हाल नौगावां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा—31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर एवं तहसीलदार नौगावां को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर